न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 135/2017 (2017/00278) दर्ज दिनांक 03.11.2017

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गोवर्धन आत्मज नाथु तेली
2. सोहन आत्मज नाथु तेली
3. शांतिलाल आत्मज नाथु तेली
4. जगदीश चन्द्र आत्मज नाथु तेली
5. राजु आत्मज नाथु तेली
6. मु0 नानुदेवी बेवा नाथु तेली

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. हीरा आत्मज भैरू गुजर
2. मु0 गटु बेवा भैरू गुजर
3. मांगु आत्मज भागीरथ गुजर
4. देवकिशन आत्मज भागीरथ गुजर
5. नारायण आत्मज रूपा गुजर
6. मदनी पुत्री गोकल गुजर
7. केशी बेवा गोकल गुजर

   सर्व निवासी मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. संतोकदेवी पुत्री नोला पत्नि लेहरू गुजर निवासी हाल गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. झमकुदेवी पुत्री नोला पत्नि मांगीलाल गुजर निवासी हाल गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. डाली पुत्री नोला पत्नि गोपीलाल गुजर निवासी हाल तालाब मिला खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमंद
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री हरीश टेलर

राजकीय सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–135 / 2017 (2017 / 00278)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

दिनांक 02.07.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1299 रकबा एक बीघा एक बिस्वा, 1845 रकबा 15 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा एक बीघा 16 बिस्वा भुमि स्थित होकर तत्कालीन खातेदार कनीराम, गोमा आत्मज दयाराम 1/2, भागीरथ, नोला आत्मज श्रीचंद 3/8, नंदा आत्मज जोगा 1/8 हिस्से से दर्ज थी।

यह कि उक्त खातेदारान में से विरासत से कनीराम की लाओलाद मृत्यु होने से उसका हिस्सा भीमा के नाम दर्ज हुआ तथा नंदा आत्मज जोगा की मृत्यु होने से भैरू, रूपा आत्मज मोडा गुजर के नाम उसका हिस्सा विरासत से दर्ज हुआ तथा भैरू लाओलाद फौत व रूपा फौत होने से प्रतिवादी संख्या 05 उसका तन्हा वारिस हैं।

यह कि उक्त वर्णित भूमियों का खातेदारान के मध्य अन्य आराजियात के साथ–साथ उक्त आराजियात का भी मौके पर बंटवारा होकर भूमियां अलग–अलग कब्जे में थी, जिससे आराजी संख्या 1299 रकबा एक बीघा एक बिस्वा भुमि खातेदारान भागीरथ, नोला आत्मज श्रीचन्द व भैरू आत्मज मोडा गुजर के तन्हा रूप से कब्जे में होकर उनके ही कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा ये लोग इसके खातेदार काश्तकार थे।

यह कि खातेदार भागीरथ, नोला आत्मज श्रीचन्द गुजर व भैरूलाल आत्मज गोमा (मोडा) गुजर को घर खर्च हेतु रूपयों की जरूरत होने से उनके हिस्से में रखी साबिक आराजी संख्या 1299 रकबा एक बीघा एक बिस्वा भूमि को वादीगण के पुर्वज नाथु आत्मज हीरा तेली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा को बिल एवज 400/– में दिनांक 18.06.1990 तदनुसार मिति द्वितीया जेठ सुदी 6 संवत 2037 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर [illegible] के पर वादीगण के पिता व पति नाथु तेली को सिपुर्द कर दिया [illegible] होकर काश्त करते रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण निरंतर [illegible] निर्बाध रूप से उक्त वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पंजीयन होने के बावजूद तथा इसकी प्रतिलिपि तत्कालीन पटवारी हल्का को देने के बावजूद उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजी संख्या 1299 का नामान्तरकरण क्रेता नाथु आत्मज हीरा तेली निवासी गंगापुर के नाम दर्ज नहीं किया गया इसलिए भुमि क्रेता के नाम पर दर्ज नही हो सकी। फलस्वरूप भुमियां विक्रेतागण एवं उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से प्रतिवादीगण के नाम पर ही चलती आ रही है।

यह कि वादीगण के पिता व पति नाथु तेली के द्वारा खरीद की गई आराजी संख्या 1299 के पड़ौस –पुर्व मे नाथु तेली खरीददार स्वयं की भूमि व डालु सुथार की आराजी, पश्चिम घीसा आत्मज जोरा कुम्हार व जमाल पिनारा की भुमि , उत्तर सरकारी बाहला, दक्षिण गणेशलाल ब्राह्मण की भूमि तथा उक्त पड़ोसों के मध्य स्थित एक बीघा एक बिस्वा भूमि पर नाथु तेली का वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण काबिज चले आ रहे हैं जिसके करीबन 37 वर्ष हो चुके हैं । जिससे वे भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो गये हैं।

यह कि तहसील सहाड़ा का नवीन भु–प्रबंध हुआ, जिसमें ग्राम मैलुनी का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया, जिसमे उक्त साबिक आराजी संख्या 1299 रकबा एक बीघा एक बिस्वा भुमि के नवीन नम्बर 1067 रकबा 0.26 हे0 कायम किये गये जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम पर है किन्तु कब्जा वर्तमान में भी वक्त खरीद से हम वादीगण का चला आ रहा हैं तथा उक्त भुमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादीगण के पिता व पति द्वारा खरीदी गई है तथा भूमि पर काबिज है किन्तु भुमि का नामान्तरकरण क्रेता के नाम पर फैसल नहीं होने से भुमियां प्रतिवादीगण के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण उक्त वर्णित आराजी संख्या 1067 को अपने नाम पर दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

यह कि उक्त वर्णित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि वादीगण के विक्रय होने के बावजूद प्रतिवा[illegible] नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादीगण कभी भी वादीगण को जबरन बे[illegible] सकते है या भुमि अन्य को किसी भी रूप से अन्तरित कर[illegible] स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–135/2017 (2017/00278)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

अतः वादीगण की सादर प्रार्थना हैं कि :–

कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि को वादीगण अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें , न किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजी संख्या 1067 को किसी अन्य के नाम रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 03.11.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई साक्ष्यवादी में वादी संख्या 01 गोवर्धन आत्मज नाथु तेली निवासी गंगापुर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया । वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी गोवर्धन ने अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1 लेखबद्ध कराये कि मैने मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र आज दिनांक 19.03.2021 पेश किया जिसमें वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में [illegible] हस्ताक्षर किये हैं। मैंने वादपत्र के साथ जमांबदी संवत 2030–32 [illegible] प्रदर्श –1 है। असल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –2 [illegible] क्षेत्रफल प्रदर्श–3 है। जमाबंदी संवत् 2070–73 प्रदर्श –4 है। मृत्यु प्रमा[illegible]पत्र नाथु तेली प्रदर्श–5 हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

4.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण पर बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि कि ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि को वादीगण अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें , न किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजी संख्या 1067 को किसी अन्य के नाम रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् प्रदर्श–1 से प्रदर्श–5 कुल पांच दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। पेरोकार सरकार ने उक्त बहस एवं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों, प्रस्तुत बहस के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः—135 / 2017 (2017 / 00278)
वाद— अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

—: आदेश :—

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि का वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। एवं इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी कि जाती हैं कि प्रतिवादीगण ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें , न किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजी संख्या 1067 को किसी अन्य के नाम रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें। तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 6.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 135 / 2017 (2017 / 00278) दर्ज दिनांक 03.11.2017

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गोवर्धन आत्मज नाथु तेली
2. सोहन आत्मज नाथु तेली
3. शांतिलाल आत्मज नाथु तेली
4. जगदीश चन्द्र आत्मज नाथु तेली
5. राजु आत्मज नाथु तेली
6. मु0 नानुदेवी बेवा नाथु तेली
   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. हीरा आत्मज भैरू गुजर
2. मु0 गटु बेवा भैरू गुजर
3. मांगु आत्मज भागीरथ गुजर
4. देवकिशन आत्मज भागीरथ गुजर
5. नारायण आत्मज रूपा गुजर
6. मदनी पुत्री गोकल गुजर
7. केशी बेवा गोकल गुजर
   सर्व निवासी मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. संतोकदेवी पुत्री नोला पत्नि लेहरू गुजर निवासी हाल गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. झमकुदेवी पुत्री नोला पत्नि मांगीलाल गुजर निवासी हाल गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. डाली पुत्री नोला पत्नि गोपीलाल गुजर निवासी हाल तालाब मिला खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमंद
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादी श्री हरीश टेलर
रीडर सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः—135 / 2017 (2017 / 00278)
वाद— अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

डिक्री दिनांक 02.07.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश टेलर एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 02.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ———×——— और इस वाद के खर्च लेखे —————×——— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर —————×—————— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित —————×—————— द्वारा —————×—————— को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि का वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। एवं इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी कि जाती हैं कि प्रतिवादीगण ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1067 रकबा 0.26 हे0 भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें , न किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजी संख्या 1067 को किसी अन्य के नाम रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।
खर्चा फरीकेन अपना — अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

डिक्री आज दिनांक 02.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0) 2.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner